पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकिल वादी सुनी गई। दौराने बहस वकिल वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकिल वादी पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 2 ने दिनांक 19.07.2023 को वादी को जरिए विक्रय पत्र विक्रय कर दी थी। वादी द्वारा उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद करने के बावजूद तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वादी के नाम नामान्तरण दर्ज नही किया गया हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये जिससे प्रतिवादीगण की वादी के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोच्य में वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

निर्णय

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम टोडा प0ह0 टोडा तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख.नं. 3414/2358 रकबा 1.0800 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के हक में किए गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 19.07.2023 के अनुसार खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Sin
Yadav
Date: 2025.05.07 12:47:45 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
दिनांक 04.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:47:45 IST
Reason: SelfAttested

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. गुरूजी स्टोन क्रेशर जरिए पार्टनर सीताराम कुमावत पुत्र नारायणराम जाति कुमावत निवासी टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 320 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम टोडा प0ह0 टोडा तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख.नं. 3414/2358 रकबा 1.0860 हैक्ट0 में प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के हक में किए गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 19.07.2023 के अनुसार खातेदारी दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 04 माह 04 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:47:45 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।